जवाहर लाल नेहरू
राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

परिदृश्य

जेएनएनयूआरएम

विषय सूची

I. **शहरी क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यकता**

1. पृष्ठ भूमि
2. सुधार पहलों के लिए आवश्यकता
3. जेएनएनयूआरएम के लिए औचित्य

II. **जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन**

1. मिशन
2. मिशन का उद्देश्य
3. मिशन का कार्य-क्षेत्र
4. मिशन की कार्यनीति
5. मिशन की अवधि
6. मिशन का संभावित परिणाम

III. **जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सहायता**

1. जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत वित्तीय सहायता
2. जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत क्षेत्र

IV. **पात्र नगर क्षेत्र एवं परियोजनाएं**

1. जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र नगर
2. शहरी इंफ्रॉस्ट्रक्चर एवं शासन हेतु उप-मिशन निदेशालय के अंतर्गत सहायता हेतु पात्र क्षेत्र एवं परियोजनाएं
3. शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाओं हेतु उप-मिशन निदेशालय के अंतर्गत सहायता हेतु पात्र क्षेत्र एवं परियोजनाएं
4. जेएनएनयूआरएम सहायता हेतु अयोग्य क्षेत्र

V. **सुधारों की कार्यसूची**

1. अनिवार्य सुधार
2. वैकल्पिक सुधार

अनुलग्नक: पात्र नगरों की सूची

I. शहरी क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यकता

1 पृष्ठ भूमि

(1) **शहरी क्षेत्र विकास के लिए आवश्यकता:** 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1027 मिलियन है जिसमें से लगभग 28 प्रतिशत अथवा 285 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई उदारीकरण की नीतियों के परिणामस्वरूप वर्ष 2021 तक शहरी आबादी का शेयर कुल आबादी के लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ना संभावित है। यह अनुमान है कि वर्ष 2011 तक शहरी क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 65 प्रतिशत तक योगदान करेगें। फिर भी यह उच्चतर उत्पादकता इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता की आकस्मिकता पर आधारित है। शहरी आर्थिक गतिविधियां नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई एवं ठोस कचरा प्रबंधन का मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर, टेलीकॉम, रोड, जल आपूर्ति तथा जन परिवहन पर निर्भर है।

(2) **शहरी क्षेत्र में आवश्यक निवेश आवश्यकता:** यह अनुमान है कि सात वर्षों की अवधि में, शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) को 1,20,536 करोड़ रुपये के कुल निवेश की आवश्यकता होगी। इसमें बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सेवाओं में निवेश करना शामिल है, जिससे कि 17,219 करोड़ रुपये की वार्षिक निधि की आवश्यकता है। यह भली-भांति ज्ञात है कि इन निवेशों को लाभदायक बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहल की आवश्यकता है जो कि राज्य सरकारों को एक साथ लाएगी तथा स्थानीय शहरी निकायों (यू.एल.बी.) को शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के प्रवाह को पोषित करने में समर्थ बनाएगी।

शहरी क्षेत्र निवेश आवश्यकता

(रु० करोड़ में)

श्रेणी	नगरों की संख्या	निवेश की आवश्यकता (2005-06 से आरंभ 7 वर्षों में)	वार्षिक निधि आवश्यकता
4 मिलियन से अधिक आबादी वाले नगर	7	57,143	8163.3
1-4 मिलियन की आबादी वाले नगर	28	57,143	8613.3
1 मिलियन से कम आबादी वाले चुनिंदा नगर	28	6,250	892.9
कुल	63	1,20,536	17219.5

2. सुधार पहलुओं के लिए आवश्यकता

(1) **शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में साधनों की संभाव्यता को बढ़ाना:** चूंकि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम तथा मॉडल नगरपालिका जैसी कई कानून सुधार पहल की जा रही है। तो विकास लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से और सुधार अभिमुखी कदम उठाने की संभावना है। सुधार पहलुओं को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है तथा निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों द्वारा सुस्पष्ट करने की आवश्यकता है।

(2) **राष्ट्रीय स्तरीय सुधार संबंधी निवेशों के लिए आवश्यकता:** देश में सभी राज्यों में शहरी **इंफ्रास्ट्रक्चर** में सुधार पहलुओं को स्वीकृत करने तथा निवेश उपार्जन के प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसी पहले करने की जरूरत महसूस की गई है जो कि देश में राज्य सरकारों तथा यूएलबी को सुधार से संबंधित सहायता प्रदान करेगी।

(3) **सतत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु आवश्यकता:** अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह कि शहरी क्षेत्रों में निर्मित वास्तविक **इंफ्रास्ट्रक्चर** परिसम्पत्तियां अपर्याप्त ध्यान और/या असमुचित ओ एंड एम के कारण सामान्यत: निष्क्रिय होती जा रही है। क्षेत्र में राजकोषिय प्रवाह ने केवल वास्तविक परिसंपत्तियों के सृजन पर बल दिया है। इन परिसंपत्तियों के दक्षतापूर्वक प्रबंधन के लिए स्वत: निरन्तरता को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं। अत: यह आवश्यक है कि परिसंपत्ति निर्माण और प्रबंधन के बीच संबंध स्थापित किया जाए, क्योंकि निरंतर सेवा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दोनों महत्वपूर्ण संघटक हैं। इसे सुधार एजेंडा के माध्यम से सुरक्षित करना प्रस्तावित है।

(4) **दक्षता बढ़ाने हेतु आवश्यकता:** सांविधिक सुधारों के साथ समवर्ती, जैसे कि मॉडल नगर पालिका कानून का अधिनियमन, स्टाम्प ड्यूटी में कमी, शहरी भूमि (सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 (यूएलसीआरए) आदि को निरस्त करना, शहरी सेवा आपूर्ति में दक्षता को बढ़ाने के लिए उपाय करने की तत्काल आवश्यकता है।

3. जेएनएनयूआरएम के लिए औचित्य

(1) **भारत सरकार का राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम:** राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम वास्तविक **इंफ्रास्ट्रक्चर** के विकास और विस्तार को उच्चतम प्राथमिकता देता है। तदनुसार, स्लम निवासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शहरों और नगरों में सामाजिक आवास के विस्तार और शहरी नवीकरण का बृहत कार्यक्रम अपनाने का प्रस्ताव किया गया है।

(2) **सहस्त्राब्दि विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्धता:** सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विकास की विस्तारित दृष्टि का वचन देता है, जो कि निरंतर सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की कुंजी है। सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को पूरा करने के इसके भाग के रूप में, भारत सरकार का प्रस्ताव है कि: (i) शहरी क्षेत्र में निवेश को सुविधाजनक बनाया जाए तथा (ii) इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विद्यमान नीतियों को सुदृढ़ बनाया जाए।

(3) **मिशन-उन्मुखी प्रयास के लिए आवश्यकता:** भारत में शहर और नगर चूंकि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शहरी व्यवस्था है तथा देश के जीडीपी में 50 प्रतिशत से भी अधिक का योगदान करते हैं अत: वे आर्थिक वृद्धि के केन्द्र बिन्दु हैं। नगरों के लिए अपनी पूरी क्षमता को पहचानने तथा वृद्धि के प्रभावी इंजन बनाने के लिए, यह आवश्यक है कि **इंफ्रास्ट्रक्चर** के सुधार पर केन्द्रीभूत ध्यान दिया जाए।

II. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

1. मिशन

मिशन स्टेटमैंट: इसका उद्देश्य चुनिंदा नगरों के सुधारों तथा तीव्रगामी नियोजित विकास को प्रोत्साहित करना है जिसमें शहरी **इंफ्रास्ट्रक्चर** में दक्षता तथा सेवा आपूर्ति व्यवस्था सामुदायिक सहभागिता, तथा नागरिकों के प्रति यूएलबी/अर्द्ध सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही पर बल देना।

2. मिशन का उद्देश्य

(1) जेएनएनयूआरएम का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में निम्नलिखित को प्राप्त किया गया है, को सुनिश्चित करना है:

(क) मिशन के अंतर्गत शामिल नगरों में **इंफ्रास्ट्रक्चर** सेवाओं के एकीकृत विकास पर केन्द्रीभूत ध्यान देना है;

(ख) दीर्घकालीन परियोजना की निरंतरता के लिए सुधारों को बलपूर्वक चलाने के द्वारा परिसम्पत्ति निर्माण और परिसम्पत्ति प्रबंधन के बीच संबंध स्थापित करना;

(ग) शहरी **इंफ्रास्ट्रक्चर** सेवाओं में कमियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां सुनिश्चित करना;

(घ) छितराये हुए शहरीकरण की दिशा में सीमा से लगे शहरी क्षेत्रों, सीमा से बाहर के क्षेत्रों तथा शहरी गलियारों सहित चुनिंदा नगरों का नियोजित विकास;

(ङ) शहरी गरीबों की सार्वजनिक पहुंच पर बल देने के साथ नागरिक सुविधाओं की आपूर्ति तथा उपयोगिताओं के प्रावधान को बढ़ाना;

(च) भीड़-भाड़ को कम करने हेतु पुराने नगरीय क्षेत्रों के लिए शहरी नवीकरण कार्यक्रम पर विशेष बल देना; तथा

(छ) वहनीय मूल्यों पर पट्टे की प्रतिभूति, विकसित आवास, जल आपूर्ति एवं सफाई सहित शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं का प्रावधान तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की अन्य विद्यमान सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करना।

3. मिशन का कार्यक्षेत्र

इस मिशन के दो उप-मिशन होंगे:

(1) **शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और शासन हेतु उप-मिशन:** इसे शहरी **इंफ्रास्ट्रक्चर** और शासन हेतु उप-मिशन निदेशालय के माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा। उप-मिशन का उद्देश्य जल आपूर्ति एवं सफाई, सीवरेज ठोस कचरा प्रबन्धन, रोड नेटवर्क, शहरी परिवहन तथा औद्योगिक एवं व्यवसायिक केन्द्रों को अनुकूल क्षेत्रों में स्थानांतरित करते हुए पुराने नगर क्षेत्रों को **इंफ्रास्ट्रक्चर** में सुधार करने की दृष्टि से पुनर्विकसित करना आदि से संबंधित **इंफ्रास्ट्रक्चर** परियोजनाओं पर मुख्य बल देना होगा।

(2) **शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं के लिए उप-मिशन:** इसे शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं के लिए उप-मिशन निदेशालय के माध्यम से शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा। उप-मिशन का मुख्य बल शहरी गरीबों को उपयोगी सेवायें प्रदान करने की दृष्टि से आश्रय, बुनियादी सेवायें तथा अन्य संबंधित नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए परियोजनाओं के माध्यम से स्लमों के एकीकृत विकास पर होगा।

4. मिशन की कार्यनीति

मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित कार्यनीति को अपनाने के द्वारा पूरा किया जाएगा:

(1) **नगर विकास योजना तैयार करना:** प्रत्येक नगर को नीतियों, कार्यक्रमों तथा कार्यनीतियों, एवं वित्तीय योजनाओं का उल्लेख करते हुए नगर विकास योजना (सी डी पी) की रूप रेखा तैयार करना अपेक्षित होगा।

(2) **परियोजनाएं तैयार करना:** सी डी पी परियोजनाओं की पहचान करने को सुविधाजनक बनाएगा। शहरी स्थानीय निकाय (यू एल बी)/अर्द्ध-सरकारी एजेंसियों से चुनिंदा क्षेत्रों में परियोजनाएं चलाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना अपेक्षित होगा। यह आवश्यक है कि परियोजनाएं इस प्रकार बनाई जाएं कि वह परियोजना की जीवन-चक्र लागत को इष्टतम रूप से कम कर सकें। परियोजना की जीवनचक्र लागत में पूंजीगत/परिव्यय और सहायक ओ॰ एंड॰ एम॰ लागत यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल होंगी कि परिसम्पत्तियां अच्छी स्थिति में हैं। आयोजना अनुभव के आधार पर सृजित परिसम्पत्तियों की ओ॰ एंड एम॰ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिक्रामी निधि का सृजन किया जाएगा। जेएनएनयूआरएम सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से परियोजनाओं को इस प्रकार विकसित नहीं किया जाएगा कि जो परियोजना के आयोजना अनुभव पर जीवन-चक्र लागतों को इष्टतम रूप से सुनिश्चित और प्रदर्शित करेगा।

(3) **निधियां जुटाना और जारी करना:** देश भर में शहरी **इंफ्रास्ट्रक्चर** क्षेत्र में निवेश के प्रवाह के परिपोषण में जेएनएनयूआरएम सहायता सहायक होगी। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों से धनराशियों को सीधे अनुदान सहायता के रूप में राज्य द्वारा निर्दिष्ट नोडल एजेंसियों को दिया जाएगा। नगरों में चुनिंदा परियोजनाओं के लिए निधियां निर्दिष्ट राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से सुलभ ऋण अथवा अनुदान-सह-ऋण अथवा अनुदान के रूप में शहरी स्थानीय निकायों/अर्द्ध-सरकारी एजेंसियों को आवंटित की जाएगी। इसके एवज में एसएलएनए/यूएलबी अन्य स्रोतों से अतिरिक्त संसाधनों का जुटाव करेंगी।

(4) **निजी क्षेत्र की दक्षताओं को शामिल करना:** आयोजना अनुभव के आधार पर जीवन-चक्र लागतों को इष्टतम रूप से कम करने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रबन्धों के द्वारा परियोजनाओं के विकास, प्रबन्ध, क्रियान्वयन और वित्त-पोषण में सार्वजनिक निजी दक्षताओं को शामिल किया जा सकता है।

5. मिशन की अवधि

मिशन की अवधि वर्ष 2005-2006 से आरम्भ होकर 7 वर्ष होगी। मिशन के क्रियान्वयन के अनुभव का मूल्यांकन 11वीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से पहले किया जाएगा, तथा यदि आवश्यक हुआ तो कार्यक्रम समुचित रूप से आयोजित किया जाएगा।

6. जेएनएनयूआरएम के अपेक्षित परिणाम

मिशन अवधि के पूरा होने पर यह अपेक्षित है कि शहरी स्थानीय निकाय एवं अर्द्ध–सरकारी एजेंसियां निम्नलिखित को प्राप्त कर लेंगी:

(1) सभी शहरी सेवाओं तथा शासन निकायों के लिए तैयार की गई और अपनाई गई आधुनिक एवं पारदर्शी बजट, लेखा, वित्तीय प्रबन्ध प्रणालियां।

(2) आयोजना एवं शासन हेतु नगर स्तरीय रूप रेखा तैयार की जाएगी एवं क्रियात्मक बनाई जाएगी।

(3) सभी शहरी निवासी शहरी सेवाओं के बुनियादी स्तर तक पहुंच को प्राप्त करने के योग्य होंगे।

(4) मुख्य राजस्व विलेखों में सुधार के द्वारा शहरी विकास एवं सेवा आपूर्ति के लिए वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर एजेंसियों की स्थापना की जाएगी।

(5) स्थानीय सेवाओं और शासन की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि वह नागरिकों के प्रति पारदर्शिता रखती हो तथा जवाबदेह हो।

(6) शहरी स्थानीय निकायों/अर्द्ध–सरकारी एजेंसियों के मुख्य क्रियाकलापों में ई–गवर्नेंश एप्लिकेशन आरम्भ किया जाएगा ताकि सेवा आपूर्ति प्रक्रिया की लागत और समय में कमी हो सके।

III. जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सहायता

1. जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता

भारत सरकार ने सात वर्षों की अवधि से अधिक जेएनएनयूआरएम की मार्फत सारभूत सहायता देने का प्रस्ताव रखा है। इस अवधि के दौरान प्रस्तावों के लिए फंड प्रदान भी किए हैं जो इस मिशन की अपेक्षाओं को पूर्ण करेंगे।

जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत यूएलबी एवं पैरास्टेटल एजेन्सियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी जो उनको या विशेष प्रयोजन व्हीकल (एसपीवी), जिनकी स्थापना की अपेक्षा की जा सकती है, की मार्फत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए यह फंड वितरित करेगी।

जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत सहायता अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता है जो क्रियान्वयन एजेन्सियों को (100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता) प्रदान की जाएगी।

साथ ही, जेएनएनयूआरएम से शहरी क्षेत्र में आगामी समय में निवेश को सुसाध्य बनाने की अपेक्षा की जाती है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए क्रियान्वयन एजेन्सियों से पी॰पी॰पी॰, जो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बीच जोखिमों को शेयर करने में सक्षम हों, की मार्फत व्यापक निजी क्षेत्र के निवेशों को आकर्षित करने के लिए जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत स्वीकृत फंड का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है।

2. जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत सहायता क्षेत्र

(1) क्षमता निर्माण भवन शहरी विकास प्लान *(सी डी पी), ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट *(डी पी आर), समुदाय की भागीदारी, सूचना, शिक्षा एवं संचार *(आई ई सी) के लिए सहायता।

जेएनएनयूआरएम कुल केन्द्रीय सहायता का 5% या वास्तविक आवश्यकता जो भी कम हो, की व्यवस्था सहित उपरोक्त बताए गए संघटकों के लिए सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा, केन्द्रीय अनुदान के 5% या वास्तविक आवश्यकता जो भी कम हो, से ज्यादा का उपयोग राज्यों के द्वारा प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों (ए एण्ड ओ ई) के लिए 5% से ज्यादा नहीं किया जाएगा।

क्षमता भवन, *(यू एल बी) एवं पैरास्टेटल एजेन्सियों में एस एल एन ए को सम्मिलित करते हुए परामर्श, परामर्शदाताओं को सम्मिलित किया जाएगा तथा शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय से प्रतिपूर्ति की इच्छा व्यक्त की जाती है।

(2) निवेश सहायता संघटक

शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) एवं शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय (एमओयूईपीए) की केन्द्रीय स्वीकृति तथा अनुवीक्षण समिति (सीएसएमसी) के अनुमोदन की शर्त पर पात्र शहरों में निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं एवं पात्र क्षेत्रों के लिए यह परियोजना विशेष आधार पर क्रियान्वयन एजेन्सियों को निवेश सहायता प्रदान करेगी।

निवेश सहायता पाने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, प्रत्येक यूएलबी से जेएनएनयूआरएम के द्वारा सहायता पाने के लिए एक सीडीपी तैयार करने की जरूरत महसूस की जाएगी जिसमें अन्य बातों के

साथ–साथ सतत् प्रक्रिया के अनुरूप **इंफ्रास्ट्रक्चर** जरूरतों को पूरा करने के लिए क्रियान्वयन सुधार, शहर स्तरीय सुधार एवं निवेश प्लान की कार्यनीति को सम्मिलित किया जाएगा।

निवेश सहायता के अन्तर्गत सहयोग को निम्नलिखित रूपों में दर्शाया जा सकता है:–

(क) **संसाधन उपलब्धता को बढ़ाना:** राज्यों से उनके विद्यमान संसाधनों एवं अंतरण के अलावा यू एल बी के पास उपलब्ध अतिरिक्त संसाधनों को बढ़ाने के लिए जेएनएनयूआरएम सहायता को उपयोग में लाया जा सकता है। इन संसाधनों का उपयोग परियोजना में पूंजी निवेश तथा ओ एंड एम निवेशों के लिए किया जा सकेगा।

(ख) **वाणिज्यिक व्यवहार्यता संबंधी परियोजनाओं को बढ़ाना:** वह परियोजनाएं, जो जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत स्टैंड – एलोन बेसिस सहायता पर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है; उनकी इच्छा व्यक्त परियोजना व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए जा सकती है। यह सफलता परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता गैप सहयोग वाली प्रकृति की समझी जा सकती है।

(ग) **परियोजनाओं की बैंक योग्यता को सुनिश्चित करना:** दीर्घ गेस्टेशन अवधि वाली **इंफ्रास्ट्रक्चर** परियोजनाओं के नकद प्रवाह, गैर बैंक योग्य परियोजना सुपुर्दगी नकद प्रवाह में परिवर्तन अतिसंवेदनशील हैं। नकद प्रवाह, लिक्विडिटी बनाए रखने के रूप में नकद प्रवाह क्रेडिट बढ़ोत्तरी तंत्र के सहायता तंत्र, अपफ्रंड डेब्ट सर्विस रिजर्व सुविधा, ज्यादा रियायत बॉण्ड्स, आकस्मिक देयता सहायता एवं साम्य सहायता भविष्य कथन को बैंक योग्य परियोजना बनाने के लिए क्रम में लगाने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए जेएनएनयूआरएम सहायता ऐसे सहायक तंत्रों को फंड प्रदान करने के लिए उपयोग में लाई जा सकेगी।

IV. पात्र शहर, क्षेत्र एवं परियोजनाएं

1. जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत सहायता हेतु पात्र शहर

(i) **पात्र शहर :** जेएनएनयूआरएम देश में राज्यों के पात्र शहरों/शहरी संचित (यूए) (संदर्भ अनुलग्नक) में **इंफ्रास्ट्रक्चर** विकास हेतु सहायता प्रदान करेगी। निम्नलिखित मानदण्ड के अनुसार इन शहरों/यूए का चयन कर लिया गया है:–

(क)	2001 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर/यूए	07
(ख)	2001 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से कम लेकिन एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर/यूए	28
(ग)	चुने गए शहर/यूए (राज्य राजधानियां एवं धार्मिक/ऐतिहासिक एवं पर्यटन महत्ता वाले अन्य शहर/यूए)	28

इन शहरों में अवस्था के अनुसार निकायों का चयन किया जाना चाहिए।

2. शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं शासन के लिए उप–मिशन निदेशालय के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र क्षेत्र एवं परियोजनाएं

जेएनएनयूआरएम सहायता के लिए पात्र क्षेत्र एवं परियोजनाएं निम्नानुसार होंगी:

(1) शहरी नवीकरण, जिसका उद्देश्य अन्त: (पुराने) क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करना है इसमें संकरी गलियों को चौड़ा करना, भीड़–भाड़ कम करने के लिए गैर–पुष्टि वाले क्षेत्र (अन्य शहर) से पुष्टि वाले क्षेत्र (बाह्य शहर) में उद्योग एवं वाणिज्यिक स्थलों को स्थानांतरित करना, पुराने एवं छोटे पाइप निकालकर उनके स्थान पर ज्यादा क्षमता वाले पाइप बिछाना, सीवर एवं ठोस कूड़ा–कचरा निपटान आदि सम्मिलित हैं।

(2) जल आपूर्ति (डिसालिनेशन संयंत्रों को सम्मिलित करते हुए) एवं स्वच्छता।

(3) सीवर एवं ठोस कूड़ा–कचरा प्रबंधन।

(4) नाले एवं बाढ़ के पानी वाले नालों का निर्माण एवं सुधार।

(5) सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेस वे, एमआरटीएस एवं मेट्रो प्रोजेक्ट को सम्मिलित करते हुए शहरी परिवहन।

(6) पीपीपी आधार पर पार्किंग लाट एवं स्थान।

(7) विरासत क्षेत्रों का संरक्षण।

(8) मिट्टी का खिसकना एवं भूस्खलन से रोकथाम तथा पुनर्वास केवल उन विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में है, जहां ऐसी समस्याओं का घटित होना सामान्य सी बात हो।

(9) जल निकायों का संरक्षण।

टिप्पणी : उत्तर पूर्वी राज्यों एवं पहाड़ी राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल तथा जम्मू एंड कश्मीर में योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए निजी भूमि के अर्जन के अलावा भूमि लागत वित्त नहीं दिया जाएगा।

3. शहरी गरीब को मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए उपमिशन निदेशालय के अन्तर्गत सहायता हेतु पात्र क्षेत्र एवं परियोजनाएं

पात्र शहरों में जेएनएनयूआरएम सहायता के लिए पात्र क्षेत्र एवं परियोजनाएं निम्नानुसार होंगी:–

(1) पहचान किए हुए शहरों के स्लमों में **इंफ्रास्ट्रक्चर** परियोजनाओं का विकास एवं आवास का एकीकृत विकास।

(2) रखरखाव, विकास, सुधार को सम्मिलित करते हुए परियोजनाएं एवं शहरी गरीब को मूलभूत सेवाएं।

(3) स्लम सुधार एवं परियोजनाओं का पुनर्वास।

(4) जलआपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, समुदाय शौचालय एवं स्नानागार आदि जैसी परियोजनाएं।

(5) स्लमवासियों, शहरी गरीब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) एवं कम आय वाले समूह (एलआईजी) श्रेणी के लिए वहनीय लागत पर आवास प्रदान करने के लिए परियोजनाएं।

(6) नाले एवं बाढ़ के पानी वाले नालों का निर्माण एवं सुधार।

(7) स्लमों एवं ठोस कूड़ा-कचरा प्रबंधन का पर्यावरणीय सुधार।

(8) स्ट्रीट लाइट।

(9) समुदाय भवन, बाल देखभाल केन्द्र जैसी सामुदायिक सुविधाएं।

(10) इस संघटक के अन्तर्गत सृजित परिसंपत्तियों का प्रचालन एवं रखरखाव।

(11) शहरी गरीब के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सिक्योरिटी योजनाओं का सम्मिश्रण।

टिप्पणी : उत्तर पूर्वी राज्यों एवं पहाड़ी राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल तथा जम्मू एंड कश्मीर में योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए निजी भूमि के अर्जन के अलावा भूमि लागत वित्त नहीं दिया जाएगा।

4. जेएनएनयूआरएम सहायता के लिए अस्वीकार्य

निम्नलिखित से संबंधित योजनाएं जेएनएनयूआरएम सहायता के लिए पात्र नहीं हैं:–

(1) विद्युत

(2) टेलीकॉम

(3) स्वास्थ्य

(4) शिक्षा

(5) मजदूरी रोजगार कार्यक्रम एवं स्टाफ संघटक

(6) नए रोजगार अवसरों का सृजन

V. सुधार एजेन्डा

जेएनएनयूआरएम का मूल उद्देश्य शहरी शासन एवं सेवा वितरण में सुधार लाने को सुनिश्चित करना है, ताकि यूएलबी वित्तीय रूप से मजबूत बन सकें एवं नये कार्यक्रम का जिम्मा लेने के लिए सतत् कार्य कर सकें। यह उद्देश्य इस बात पर भी बल देता है कि सुधार चार्टर जिनका पालन राज्य सरकारों एवं यू एल बी के द्वारा किया जाना है, पी पी पी के लिए एक विशेष स्थान प्रदान करने की स्थापना की जा सके।

नीचे सेक्शन में सुधार एजेन्डा दिया गया है। पहचान किए हुए सुधारों में नेशनल स्टीरिंग ग्रुप (एनएसजी) अतिरिक्त सुधारों को जोड़ सकता है। केन्द्रीय सहायता पाने के लिए पूर्व अपेक्षित राज्य/यूएलबी/पैरास्टेटल एजेन्सियों एवं भारत सरकार के बीच इस सुधार की प्रत्येक मद के लिए प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्यों के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा।

मिशन अवधि के अन्दर सभी अनिवार्य एवं वैकल्पिक सुधार पूर्ण कर लिए जाएंगे।

1. अनिवार्य सुधार

(i) यूएलबी एवं पैरास्टेटल एजेन्सियों के स्तर पर अनिवार्य सुधार

(क) यूएलबी एवं पैरास्टेटल में आधुनिक एक्रुअल आधारित दुगुनी लेखागणना प्रविष्टि प्रणाली को अपनाना।

(ख) यूएलबी एवं पैरास्टेटल एजेन्सियों द्वारा प्रदान विभिन्न सेवाओं के लिए जीआईएस एवं एमआईएस जैसी एप्लीकेशनों को उपयोग में लाते हुए ई–गवर्नेंस प्रणाली का परिचय।

(ग) जीआईएस सहित संपत्ति कर सुधार। भावी प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिए यूएलबी इसको राजस्व का व्यापक स्रोत बनाया जा सकता है, ताकि संग्रहण प्रणाली को आगामी सात वर्षों में कम से कम 85% तक पहुंचाया जा सके।

(घ) यूएलबी एवं पैरास्टेटल के द्वारा समुचित उपयोगकर्ता प्रभार की उगाही इस उद्देश्य के साथ कि ओएंडएम की पूर्ण लागत एवं रिकरिंग लागत का संग्रहण आगामी सात वर्षों के अन्दर किया जाता है, तथापि, उत्तरपूर्वी एवं विशेष श्रेणी के राज्य के कस्बों एवं शहर प्रारंभिक तौर पर ओएंडएम प्रभारों का 50% वसूल कर सकते हैं। ये शहर एवं कस्बे चरणबद्ध तरीके से पूर्ण ओएंडएम लागत वसूली जुटा सकते हैं।

(ङ) शहरी गरीब को मूलभूत सुविधाएं स्थानीय निकायों में आंतरिक पहचान बजट; एवं

(च) शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सिक्योरिटी के लिए वहनीय मूल्यों पर प्रतिभूति की अवधि, सुधार आवास, जल आपूर्ति एवं सरकार की विद्यमान अन्य यूनिवर्सल सेवाओं की डिलीवरी को सम्मिलित करते हुए शहरी गरीब को मूलभूत सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान।

2. राज्यों के स्तर पर अनिवार्य सुधार

(क) 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में दिए गए के अनुसार विकेन्द्रीकरण साधनों का क्रियान्वयन। राज्य नागरिकों को सेवाओं के वितरण के साथ–साथ पैरास्टेटल एजेन्सियों के कार्य की योजना में यूएलबी के संयोजन एवं अर्थ पूर्ण सहयोग को सुनिश्चित करें।

(ख) *यूएलसीआरए का निरसन

(ग) *भूमि स्वामी एवं किरायेदारों के हित को बनाए रखते हुए किराया नियंत्रण कानून में सुधार।

(घ) आगामी सात वर्षों में 5 प्रतिशत से अधिक स्टाम्प ड्यूटी को कम करने का यौक्तिकीकरण।

(ङ) यूएलबी एवं पैरास्टेटल एजेन्सियों के मध्यम अवधि राजकोषीय प्लान की तैयारी को सुनिश्चित करने संबंधी सार्वजनिक प्रकटन कानून अधिनियम।

(च) नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए समुदाय भागीदारी कानून अधिनियम एवं शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र सभा की धारणा का परिचय देना।

(छ) सात वर्षों की अवधि पर ''शहरी योजना कार्य'' असाइनिंग या एसोसिएटिंग चयनित यूएलबी, सभी विशेष एजेन्सियों का अंतरण, जो शहरी क्षेत्रों में सभी शहरी मूलभूत नागरिक सेवाओं का पारगमन प्रदानकर्ता है, के लिए यूएलबी एवं सृजन महत्ता प्लेटफार्म प्रदान करेगी।

टिप्पणी: जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित सामान्य जनता उन्मुख योजनाओं के संबंध में नीचे दिए गए राज्य स्तरीय सुधारों को वैकल्पिक सुधारों के रूप में लिया जा सकता है:

(ख) शहरी भूमी सीमा एवं नियमन अधिनियम

(ग) किराया नियंत्रा अधिनियम में सुधार

2. वैकल्पिक सुधार (राज्यों, यूएलबी एवं पैरास्टेटल एजेन्सियों के लिए सामान्य)

(क) भवनों, स्थल विकास के निर्माण हेतु अनुमोदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उपविधिकों में संशोधन।

(ख) कृषि, गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के परिवर्तन हेतु विधिक एवं प्रक्रियात्मक फ्रेमवर्क का सरलीकरण।

(ग) यूएलबी में संपत्ति हक प्रमाणन का परिचय।

(घ) क्रास सब्सिडेशन के सिस्टम सहित ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी श्रेणी के लिए सभी आवासीय परियोजनाओं (सार्वजनिक एवं निजी दोनों एजेन्सियों के लिए) में विकसित भूमि को कम से कम 25-25 प्रतिशत तक चिन्हित करना।

(ङ) भूमि एवं संपत्ति के पंजीकरण की प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत करने का परिचय।

(च) सभी भवनों में वर्षा जल संचयन तथा जल संरक्षण साधनों को अपनाने के लिए उपविधिकों में संशोधन।

(छ) चक्रित जल के पुन: प्रयोग हेतु उपविधिक।

(ज) प्रशासनिक सुधार अर्थात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस), सेवानिवृत्ति आदि की वजह से खाली पदों का न भरा जाना, एवं इस संबंध में विनिर्दिष्ट माइलस्टोन अपना कर मूलभूत लागतों में कटौती करना।

(i) ढाँचागत सुधार

(i) पीपीपी को प्रोत्साहित करना।

टिप्पणी: जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष में शहर अपने क्रियान्वयन में वैकल्पिक श्रेणी के किन्हीं भी सुधारों को अपनाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

अनुलग्नक

जेएनएनयूआरएम के लिए पात्र पहचान किए गए शहरों की सूची

श्रेणी क बड़े शहर/यूए	श्रेणी ख मिलियन से ज्यादा संख्या वाले शहर/यूए	श्रेणी ग एक मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहर/यूए
(1) दिल्ली	(1) पटना	(1) गुवाहाटी
(2) ग्रेटर मुम्बई	(2) फरीदाबाद	(2) एटानगर
(3) अहमदाबाद	(3) भोपाल	(3) जम्मू
(4) बंगलौर	(4) लुधियाना	(4) रायपुर
(5) चेन्नई	(5) जयपुर	(5) पणजी
(6) कोलकाता	(6) लखनऊ	(6) शिमला
(7) हैदराबाद	(7) मदुरई	(7) राँची
	(8) नासिक	(8) तिरूवनन्तपुरम
	(9) पुणे	(9) इम्फाल
	(10) कोचीन	(10) शिलांग
	(11) वाराणसी	(11) ऐजवाल
	(12) आगरा	(12) कोहिमा
	(13) अमृतसर	(13) भुवनेश्वर
	(14) विशाखापट्टनम	(14) गंगटोक
	(15) वडोदरा	(15) अगरतला
	(16) सूरत	(16) देहरादून
	(17) कानपुर	(17) बोधगया
	(18) नागपुर	(18) उज्जैन
	(19) कोयम्बटूर	(19) पुरी
	(20) मेरठ	(20) अजमेर पुष्करपुरी
	(21) जबलपुर	(21) नैनीताल
	(22) जमशेदपुर	(22) मैसूर
	(23) आसनसोल	(23) पाण्डिचेरी
	(24) इलाहाबाद	(24) चंडीगढ
	(25) विजयवाडा	(25) श्रीनगर
	(26) राजकोट	(26) मथुरा
	(27) धनबाद	(27) हरिद्वार
	(28) इन्दौर	(28) नांदेड़

टिप्पणी: नेशनल स्टीरिंग ग्रुप (एनएसजी) राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों पर आधारित ग श्रेणी (राज्य की राजधानियों के अलावा) के अंतर्गत शहरों/यूए/कस्बों को बढ़ाने या हटाने पर विचार कर सकता है। तथापि, इस मिशन के अंतर्गत शहरों की संख्या करीब 60 होगी।